न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

" न्याय आपके द्वार" कैम्प कोर्ट

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–
1. मंगलचन्द पुत्र मेघाराम
2. तीलोकाराम पुत्र मेघाराम
3. ईश्वरराम पुत्र मेघाराम
4. बंशीलाल पुत्र मेघाराम
5. मूलचन्द पुत्र मेघाराम

जाति कुमावत सा. गांधीग्राम

बनाम

प्रतिवादी :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
नांवा – नागौर

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषण व रिकार्ड दुरूस्ती।

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्ज वकील वादी
श्री कुन्जबिहारी शर्मा तहसीलदार नांवा

मुकदमां नम्बर :– 18 / 2008

निर्णय दिनांक :– 30/5/17

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम घाटवा के गत खसरा नम्बर 411 रकबा 12–15 बीघा गत खसरा नम्बर 491 रकबा 10–19 बीघा कुल रकबा 23–09 बीघा भूमि वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में रही हैं जो मौके पर एक ही चक में हैं सम्वत 2045 के बाद भू प्रबन्ध कार्यवाही में वादी की खातेदारी सुदा भूमि 12–15 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 871 रकबा 0.90 हैक्टय ही कायम कर दिऐ तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 870 सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई। वादी ने वाद पेश कर गत खसर नम्बर 411 मीन रकबा 12–15 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 871 कुल रकबा 244.87 हैक्टयर में से 1.26 हैक्टयर भूमि कम कर खसरा नम्बर 870 का रकबा 0.90 के बजाय 2.16 हैक्टयर कायम किऐ जाने की इस्तदुआ चाही हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मनत तब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुऐ खसरा नम्बर 870 रकबा 244.87 हैक्टयर गै.मु. पहाड़ वन विभाग की खातेदारी में दर्ज होना बताया हैं वन विभाग की भूमि की खातेदारी वादी पाने का अधिकारी नहीं होने से वादी का वाद खारिज किऐ जाने का निवेदन किया गया है। तत्पश्चात हमने पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिकार्ड का अवलोकन किया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2042–45 ग्राम घाटवा के खसरा न्मबर 491 रकबा 10–15 बीघा व खसरा नम्बर 411 मिन रकबा 12–15 बीघा कुल रकबा 23–14 बीघा भूमि वादीगण के नाम

30/5/17

उपखण्ड अधिकारी
(नागौर)

दर्ज रिकार्ड हैं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 411 मीन के नये खसरा नम्बर 871 रकबा 0.90 हैक्टयर व खसरा नम्बर 870 रकबा 244.87 हैक्टयर कायम किऐ हैं खसरा नम्बर 870 रकबा 244.87 हैक्टयर भूमि वन विभग के खाते में गै.मु. पहाड़ दर्ज रिकार्ड हैं इसके अतिरिक्त वादीगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किऐ हैं गत खसरा नम्बर 411 मीन 12–15 बीघा भूमि जो वादीगण के नाम दर्ज थी उसके ही नये खसरा नम्बर 871 रकबा 0.90 हैक्टयर कायम हुऐ हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं 411 मीन के दो खसरे तो पत्रावली से सामने आऐ हैं ओर भी कोई 411 के मिन नम्बर कायम हो रखे हो तथा 411 मीन मूल खसरा नम्बर की जामाबन्दी आदि रिकार्ड पेश नहीं किया हैं नही सम्वत 2042 से पूर्व की जमाबन्दीयों वाद में पेश की हैं जिससे लगातार खसरा नम्बर 411 मीन रकबा 12–15 बीघा भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज रही हैं साबित होता हैं, वादी ने वाद में खसरा नम्बर 870 रकबा 244.87 हैक्टयर भूमि में से 1.26 हैक्टयर भूमि कम कर खातेदारी घोषणा चाही हैं लेकिन वाद में वन विभाग को पक्षकार ही नहीं बनाया हैं जिसके नाम खातदारी दर्ज हैं व जिसकी खातेदारी कम हो रही हैं उसको सुने बिना ही वादी को इस भूमि में किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं दिऐ जा सकते हैं वन विभगा उक्त भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसको पक्षकार बनाऐ बिना यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। जिससे वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/5/17 को सुनाया गया।

30/5/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नांवा
नांवा (नागौर)